

# द्वारा तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला-अजमेर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91

राज. भू राजस्व अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नं. 03 / 2024

अनवान

सरकार जरिये प0ह0 ..... बंनम श्री .....  
मुब श्री ..... जाति .....  
निवासी .....

निर्णय

दिनांक 5 / 2 / 2024

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी बावजूद सूचना गैर हाजिर उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल से लायी जाती है। अतः मामला एक पक्षीय निर्णित किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम ..... के आराजी  
खसरा नं. 154 ..... किस्म ..... रकबा 1-9092 ई. पर .....  
कर सम्वत् 2017 ..... में कब्जा कर लिया जिसकी रिपोर्ट पटवारी से  
प्राप्त होने पर मामला अन्तर्गत 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी  
को नोटिस से तलब किया गया ।

अप्रार्थी बावजूद सूचना के भी गैर हाजिर रहे, नही उनकी और से कोई वकील या प्रतिनिधि उपस्थित हुए। स्पष्ट है कि इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते है।

अतः अप्रार्थी को ग्राम ..... की आराजी खसरा नं. 154 ..... किस्म .....  
रकबा 1-9092 ई. से बेदखल किया जाता है तथा लगान 3-80 ..... का .....  
गुणा 190/- ..... रुपये जुर्माना किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी से अप्रार्थी से  
भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का प्रश्नगत आराजी पर खड़ी फसल को निलामी  
कर फर्द स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

पटवारी /टी.आर.ए. मांग कायमी कर वसूली करें तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करें।

आदेश सेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो। पत्रवाली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।



दिनांक 2020-21 रा. नं. 79 पर रा. 190/- की मांग  
कायमी की गई।  
तहसीलदार रूपनगढ़ (अजमेर)

तहसीलदार  
रूपनगढ़ (अजमेर)